# बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनि

**2011** फरवरी 2012



# अपील एवं पुनर्विलोकन के लिए संदर्भित सामग्री

बिलोसेअ नियमावली–नियम 18 (6) (iii) के अनुपालन में

# विषय सूची

1. पृष्ठभूमि	2
2. अधिनियम के उद्देश्य	2
3. अपील का प्रावधान	3
4. सि.प्र.स. के अनुसार 'अपील'	3
5. कौन अपील कर सकता है?	3
6. कौन द्वितीय अपील में जा	
सकता है?	4
7. अपील दायर करने की प्रक्रिया	4
8. समय सीमा	5
9. विनिश्चय की प्रक्रिया	5-6
10. संसूचित करना	6
11. व्यक्तिशः उपस्थिति	6
12. प्रमाण का भार	7
13. निर्णय / आदेश	7
14. दंड	7
15. दंड की वसूली	8
16. आदेश संसूचित करना	8
17. निर्णय का अननुपालन	9
18. कार्रवाई का संरक्षण	9
19. अभिलेखों का रखरखाव	9



राज्य सरकार प्रशासनिक सुवार के क्रम में उत्तरदायित्व एवं पाउदर्शिता लाने के जब्बेरय में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम दिनोंक 15 अगस्त. 2011 से सम्पूर्ण पाज्य में लागू, करने जा रही है। इस अधिनियम के तहत आम जनता से जुड़ी हुई महत्यपूर्ण सेवाओं को शामिल किवा गया है। इराकी विशेषता यह है कि इस अधिनियम में शामिल सेवाओं को अब नियत समय-सीमा के अन्तर्गत नागरिकों को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि किसी नागरिक को समय-सीमा के अधीन सेवा प्राप्त नहीं होता हूं तो इलके लिए अपील, युनवाई एवं उत्तरदायित्व निर्वारण का प्राव्यान भी किया गया है। बमी प्रकार के आवेदनों की पावती कार्यालय द्वारा दिया जाना अनियायं है।

मुझे विष्टवास है कि इस अधिनियम के कियान्वित हो जाने के बाद सरकार के कार्य प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता के एक नये युग का प्रारम्भ होगा जो राज्य के दूरश्य क्षेत्रों के आम नागरियों विशेषकर कमजोर यगों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने में लागदायी होगा।

गुभकामनाएं,

(नीतीश कुमार)

पटना

# लोक सेवाओं का अधिकार

· C)+3.

# पृष्ठभूमि

विगत कुछ वर्षों से बिहार ने प्रशासनिक सुधार पर विशेष घ्यान एवं जोर दिया है। सरकारी सेवा वेहतर ढंग से उपलब्ध करायी जा सके इसके लिए सरकार द्वारा अनेक प्रयत्न किये गये हैं।नीतिगत हस्तक्षेप इ-गवर्नेंस लागू करने एवं सुधारात्मक तकनीक आदि के द्वारा सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने एवं उत्तरदायित्व निर्धारण करने का सरकार प्रयत्न कर रही है। बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम 2011 जो अगस्त 2011 से लागू किया गया है तथा जिसके द्वारा नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि उन्हें सरकार द्वारा नियत समय पर सेवा उपलब्ध करायी जाएगी में नाम निर्दिष्ट लोक सेवकों की जिम्मेदारी निर्धारित की गयी है तथा सेवा में विलम्ब अथवा सेवा से इन्कार की स्थिति में अपील का प्रावधान किया गया है।इस प्रकार इस अधिनियम में उत्तरदायित्व, नियत समय के अन्दर सेवा उपलब्ध कराने की अवधारणा– अच्छे प्रशासन के सभी आवश्यक तत्व–सम्मिलित हैं।

# बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के उद्देश्य

राज्य की जनता को नियत समय—सीमा में अधिसूचित सेवाएँ परिदान कराने हेतु और उससे संबंधित एवं आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिए एक अधिनियम।





बिलोसेअ अधिनियम 2011--प्रस्तावना



## बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपील का प्रावधान

बिलोसेअ अधिनियम के धारा 6 में अपील के अधिकार का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत, "कोई व्यक्ति, जिसका आवेदन धारा–5 की उपधारा (2) के अधीन अस्वीकृत किया जाता है या जिसे नियत समय–सीमा में सेवा उपलब्ध नहीं करायी जाती है, आवेदन की अस्वीकृति की तिथि के तीस दिनों के अन्दर या नियत समय–सीमा की समाप्ति पर अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा".

अपीलीय प्राधिकार के किसी आदेश से व्यथित नामनिर्दिष्ट लोकसेवक या आवेदक, आदेश किये जाने की तिथि से साठ दिनों के अन्दर, पुनर्विलोकन प्राधिकार के समक्ष द्वितीय अपील कर सकेगा, जो अपील का निष्पादन विहित प्रक्रिया के अनुसार करेगा.

यदि नामनिर्दिष्ट लोक सेवक धारा–6 की उपधारा (2) के अधीन सेवा उपलब्ध कराने के लिए आदेश के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है, तो ऐसे अननुपालन से व्यथित आवेदक पुनर्विलोकन प्राधिकार को सीधे आवेदन समर्पित कर सकेगा बिलोसेअ अधिनियम धारा 6

# सिविल प्रक्रिया संहिता से

अपील

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार अपील को निम्न रूप से गरिभाषित किया जा सकता है ''अधीनस्थ न्यायालय के विनिश्चय (निर्णय) की ग्रीय न्यायालय द्वारा न्यायिक परीक्षा।'' इस प्रकार यह वरीय न्यायालय अथवा ग्रशासनिक प्राधिकार के समक्ष शिकायत करने का अधिकार है तथा निम्न न्यायालय / कार्यालय द्वारा पारित आदेश में की गयी त्रुटि / असावधानी में इस्तक्षेप करते हुए उसका निवारण करने का अवसर है। ग्रत्येक अपील के लिए तीन मूल तत्व होने चाहिए—

- एक निर्णय सामान्यतः—न्यायादेश अर्थवा प्रशासनिक प्राधिकार का विनिश्चय।
- 2- एक व्यथित व्यक्ति जो प्रायः— यद्यपि अनिवार्य नहीं है, मूल वाद का पक्षकार हो और
- 3- एक पुनर्विलोकन प्राधिकार जो अपील की सुनवाई के लिए तैयार एवं इच्छ्क हों।

#### कौन अपील कर सकता है

प्रथम अपील– बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत, कोई व्यक्ति, जिसका आवेदन धारा–5 की उपधारा (2) के अधीन अस्वीकृत किया जाता है या जिसे नियत समय–सीमा में सेवा उपलब्ध नहीं करायी जाती है अपील दाखिल कर सकेगा

... यदि राज्य सरकार, प्रावधानों का अननुपालन अभिकथित करता हुआ कोई आवेदन पाती है, तो वह उसे अधिनियम के अनुसार अग्रतर कार्रवाई के लिए अपीलीय प्राधिकार को सीधे भेज सकेगी बिलोसेअ अधिनियम धारा 6 (1)

बिलोसेअ अधिनियम धारा 10



द्वितीय अपील– बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अनतर्गत, अपीलीय प्राधिकार के किसी आदेश से व्यथित नामनिर्दिष्ट लोकसेवक या आवेदक, आदेश किये जाने की तिथि से साठ दिनों के अन्दर, पुनर्विलोकन प्राधिकार के समक्ष द्वितीय अपील कर सकेगा, जो अपील का निष्पादन विहित प्रक्रिया के अनुसार करेगाण्यदि नामनिर्दिष्ट लोक सेवक धारा–6 की उपधारा (2) के अधीन सेवा उपलब्ध कराने के लिए आदेश के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है, तो ऐसे अननुपालन से व्यथित आवेदक पुनर्विलोकन प्राधिकार को सीधे आवेदन समर्पित कर सकेगा। इस आवेदन का निष्पादन द्वितीय अपील के लिए विहित रीति से किया जायेगा। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम अपील का निर्णय नियत समय के अन्दर पारित करना है, ऐसा नहीं होने की स्थिति में आवेदक सीधे पुनर्विलोकन प्राधिकार के समक्ष आवेदन दे सकता है।

#### अपील दायर करने की प्रक्रिया

नियमावली के अधीन विहित प्रपत्र में दिखाये गये विवरण के अतिरिक्त, अपील किये जाने का तरीका और सभी आवश्यक दस्तावेज जो अपील के साथ संलग्न किये जायेंगे, का विवरण नोटिस बोर्ड में शामिल किया जायेगा अपील दायर करने की प्रक्रिया के कुछ प्रावधान नीचे दिये जा रहे हैं।

- प्रथम अपीलों या द्वितीय अपीलों के लिए कोई शुल्क उद्गृहीत नहीं किया जायेगा।
- प्रथम एवं द्वितीय अपीलों के लिए आवेदन की प्रक्रिया अपीलीय प्राधिकार, या पुनर्विलोकन प्राधिकार के समक्ष किसी प्रथम एवं द्वितीय अपील के लिए आवेदन के साथ निम्नांकित सूचनाएँ शामिल किये जायेंगे–
  - (1) आवेदक या प्रथम एवं द्वितीय अपील करनेवाले व्यक्ति का नाम एवं पता।
  - (2) संभव हद तक, नामनिर्दिष्ट लोक सेवक/अपीलीय प्राधिकार जिसके निर्णय के विरुद्ध प्रथम या द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया है, का नाम एवं पता।
  - (3) आदेश, जिसके विरुद्ध प्रथम या द्वितीय अपील होता है, का सार।
  - (4) यदि अपील आवेदनों की अभिस्वीकृति की प्राप्ति नहीं होने के विरुद्ध किया जाता है तो नामनिर्दिष्ट लोक सेवक के नाम एवं पता के साथ आवेदन की तिथि।
  - (5) प्रथम या द्वितीय अपील का आधार।
  - (6) माँगा जा रहा अनुतोष।
  - (7) प्रथम या द्वितीय अपील का विनिश्चय करने के लिए आवश्यक अन्य कोई संबंधित सूचना।
- प्रथम या द्वितीय अपील आवेदन के साथ संलग्न करने हेतु दस्तावेज प्रत्येक प्रथम या द्वितीय अपील के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे–
  - (1) प्रथम या द्वितीय अपील के साथ संलग्न दस्तावेजों की विषय-सूची।
  - (2) आदेश, जिसके विरुद्ध प्रथम या द्वितीय अपील किया जा रहा है, की स्व– अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।
  - (3) प्रथम या द्वितीय अपील के लिए आवेदन में उल्लेखित दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ।
  - (4) नामनिर्दिष्ट लोक सेवक या अपीलीय प्राधिकार को, द्वितीय अपील के लिए आवेदन के मामले में, दंड जमा करने का प्रमाण देना होगा। ऐसे किसी प्रमाण के बिना कोई आवेदन, यदि अपील के लिए प्रस्तुत किया जाता है, स्वीकार नहीं किया जायेगा।

बिलोसेअ अधिनियम धारा 6 (3) एवं (4)

बिलोसेअ नियमावली धारा 7

बिलोसेअ नियमावली धारा 9

बिलोसेअ नियमावली धारा 10

बिलोसेअ नियमावली धारा 11



### समय सीमा

 आवेदन की अस्वीकृति की तिथि के तीस दिनों के अन्दर या नियत समय—सीमा की समाप्ति पर अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा। अपीलीय प्राधिकार तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील ग्रहण कर सकेगा यदि वह सन्तुष्ट हो कि अपीलकर्त्ता को समय पर अपील दाखिल करने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था

exans

- अपीलीय प्राधिकार के किसी आदेश की तिथि से साठ दिनों के अन्दर, पुनर्विलोकन प्राधिकार के समक्ष द्वितीय अपील कर सकेगा. पुनर्विलोकन प्राधिकार साठ दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद भी द्वितीय अपील ग्रहण कर सकेगा यदि वह सन्तुष्ट हो कि अपीलकर्त्ता को समय पर अपील दाखिल करने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था।
- अपीलीय प्राधिकार द्वारा, ऐसी अपील दाखिल किये जाने की सम्यक अभिस्वीकृति
  अपीलकर्त्ता को उसकी हस्ताक्षरित प्राप्ति उपलब्ध कराकर दी जायेगी

बिलोसेअ अधिनियम

धारा 6 (1)

बिलोसेअ अधिनियम धारा 6 (3)

बिलोसेअ अधिनियम धारा 6 (1)

#### परिसीमा (लिमिटेशन) अधिनियम से

परिसीमा की गणना के सम्बन्ध में न्यायिक प्रक्रिया की अवधि को अलग करना

- किसी वाद, अपील अथवा आवेदन के लिए परिसीमा की गणना करने के लिए जिस तिथि को वे दायर किये गये हैं उसकी गणना नहीं की जाएगी।
- 2. किसी अपील अथवा लीव टू अपील के आवेदन अथवा पुनरीक्षण अथवा किसी न्यायादेश के पुनर्विलोकन के निमित्त परिसीमा की गणना के लिए उस तिथि जिस दिन न्यायादेश पारित किया गया है तथा डिक्री, सेन्टेंस अथवा अपील आवेदन का आदेश, पुनरीक्षण या पूनर्विलोकन की गणना नहीं की जाएगी।
- 3. जहाँ किसी डिक्री या आदेश के विरूद्ध अपील की गयी हो अथवा पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन का अनुरोध किया गया है अथवा जहाँ डिक्री या आदेश में लीव टू अपील के लिए आवेदन दिया गया है न्यायादेश में लगने वाली निर्धारित अवधि की गणना नहीं की जाएगी
- किसी एवार्ड (आदेश) को निरस्त किये जाने सम्बन्धी आवेदन के लिए परिसीमा की गणना करते समय एवार्ड की प्रति प्राप्त करने में लगने वाले समय की गणना नहीं की जाएगी।

#### प्रथम या द्वितीय अपील पर विनिश्चय में प्रक्रिया

प्रथम एवं द्वितीय अपील के विनिश्चय एवं निष्पादन की प्रक्रिया के निम्न सोपान हैं

 इस धारा के अधीन किसी अपील का विनिश्चय करते समय अपीलीय प्राधिकार तथा पुनर्विलोकन प्राधिकार को निम्नांकित मामलों में, वही शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद के विचारण के समय किसी सिविल कोर्ट को होता है, यथा–(क) दस्तावेजों को प्रस्तुत करने एवं निरीक्षण की अपेक्षा करने; (ख) नामनिर्दिष्ट लोक सेवक एवं अपीलकर्त्ता को सुनवाई के लिए सम्मन जारी करने; तथा (ग) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाय।

बिलोसेअ अधिनियम धारा 6 (5)

#### सिविल प्रक्रिया संहिता से

X2+3

अपील के मेरिट के पुनर्विलोकन एवं परीक्षण के लिए सम्बन्धित दस्तावेज, लोक अभिलेख अथवा उनकी प्रतियों का पुनर्विलोकन दस्तावेजीय साक्ष्य के रूप में किया जाएगा यद्यपि मौखिक अनुरोध को भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। आवश्यक दस्तावेज के संलग्न नहीं केये जाने पर अपील अस्वीकृत किया जाएगा।

आपवादिक रूप में किसी पदाधिकारी को अन्वेषण करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है।

प्रथम या द्वितीय अपील पर विनिश्चय में—

(1) संबंधित दस्तावेज, लोक अभिलेख या उनकी प्रतिलिपियाँ पुनर्विलोकित की जायेंगी।

- (2) आपवादिक परिस्थितियों में, अपेक्षित अन्वेषण के लिए किसी पदाधिकारी को प्राधिकृत किया जा सकेगा।
- (3) नामनिर्दिष्ट लोक सेवक या अपीलीय प्रधिकार को पुनर्विलोकन के समय किसी सुनवाई के लिए सम्मन किया जा सकेगा।

### सुनवाई के लिए सूचना के संसूचन की प्रक्रिया

नाम निर्दिष्ट लोक सेवक अथवा अपीलीय प्राधिकार को पुनर्विलोकन की सुनवाई लिए सम्मन जारी किया जा सकता है। सभी पक्षकारों को स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता के माध्यम से सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा।

प्रथम या द्वितीय अपील के लिए आवेदन की सुनवाई की सूचना निम्नांकित में से किसी एक रीति से संसूचित की जायेगी–

- (1) पक्षकार द्वारा स्वयं।
- (2) विशेष दूत के माध्यम से हस्त-वितरण।
- (3) निबंधित डाक द्वारा पावती सहित।
- (4) विभाग के माध्यम से, पुनर्विलोकन के मामले में।

#### व्यक्तिशः उपस्थिति

- (1) सभी परिस्थितियों में, आवेदक/नामनिर्दिष्ट लोकसेवक/अपीलीय प्राधिकार को सुनवाई की तिथि कम से कम 7 दिनों पूर्व संसूचित की जायेगी।
- (2) यथास्थिति, आवेदक / नामनिर्दिष्ट लोकसेवक / अपीलीय प्राधिकार प्रथम या द्वितीय अपील आवेदन की सुनवाई के दौरान स्वयं उपस्थित रहेगा या उपस्थित नहीं रहने का विकल्प ले सकेगा।
- (3) जहाँ यह स्पष्ट हो कि परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिसके कारण, यथास्थिति, आवेदक/नामनिर्दिष्ट लोकसेवक/अपीलीय प्राधिकार सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सकता है, तो ऐसे मामलों में अन्तिम विनिश्चय के पूर्व आवेदक/नामनिर्दिष्ट लोकसेवक/अपीलीय प्राधिकार को एक और अवसर दिया जायेगा अथवा ऐसी आवश्यक कार्रवाई की जायेगी जो उचित समझा जाय।
- (4) यदि कोई पक्षकार, उसे सम्यक रूप से निष्पादित सुनवाई की सूचना के बावजूद, सुनवाई की तिथि को अनुपस्थित रहता है तो यथास्थिति, प्रथम या द्वितीय अपील के लिए आवेदन का विनिश्चय उसकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

बिलोसेअ नियमावली नियम 14 (1)

बिलोसेअ नियमावली नियम 14 (2)

बिलोसेअ नियमावली **नियम 14 (3)** 

बिलोसेअ नियमावली नियम 14 (4)

बिलोसेअ नियमावली नियम १२

बिलोसेअ नियमावली नियम 13





#### प्रमाण का भार

किसी अपीलीय कार्यवाही में, किसी विलम्ब या सेवा देने से इनकार को न्यायोचित ठहराने का भार, यथास्थिति, नामनिर्दिष्ट लोक सेवक या अपीलीय प्राधिकार, जिसने विलम्ब किया या सेवा देने से इनकार किया, पर होगा।

### निर्णय/ आदेश

- अपीलीय प्राधिकार नामनिर्दिष्ट लोक सेवक को विनिर्दिष्ट अवधि में सेवा उपलब्ध कराने के लिए आदेश दे सकेगा या अपील नामंजूर कर सकेगा।
- सेवा उपलब्ध कराने के लिए आदेश के साथ, अपीलीय प्राधिकार इस अधिनियम की धारा–7 के प्रावधानों के अनुसार दंड अधिरोपित कर सकेगा।
- ... पुनर्विलोकन प्राधिकार .. अपील का निष्पादन विहित प्रक्रिया के अनुसार करेगा

#### दंड

- जहाँ अपीलीय प्राधिकार की राय हो कि नामनिर्दिष्ट लोक सेवक बिना पर्याप्त एवं युक्तियुक्त कारणों के, सेवा उपलब्ध कराने में असफल रहा है, तो वह इस अधिनियम के अधीन बनी नियमावली में यथाविहित, समय–समय पर निर्धारित दर से, कोई एकमुश्त दंड अधिरोपित कर सकेगा।
  - अधिनियम की धारा 7(1)(क) के संदर्भ में दंड एकमुश्त राशि होगी जो पाँच सौ रुपये से कम नहीं तथा पाँच हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।
- जहाँ अपीलीय प्राधिकार की राय हो कि नामनिर्दिष्ट लोक सेवक ने सेवा उपलब्ध कराने में विलम्ब किया है, तो वह ऐसे विलम्ब के लिए नामनिर्दिष्ट लोक सेवक पर समय–समय विहित दर से और इस अधिनियम के अधीन बनी नियमावली में समय–समय पर यथाविहित कोई दंड अधिरोपित कर सकेगा
  - धारा 7(1) (ख) के संदर्भ में दंड दो सौ पचास रुपये प्रति विलम्ब का दिन होगा, इस परन्तुक के साथ कि किसी भी मामले में कुल दंड पाँच हजार रुपये से अधिक नहीं होगा।
- जहाँ पुनर्विलोकन प्राधिकार की राय हो कि अपीलीय प्राधिकार, बिना किसी पर्याप्त एवं युक्तियुक्त कारणों के, नियत समय–सीमा में अपील का विनिश्चय करने में असफल रहा हे, तो वह अपीलीय प्राधिकार पर समय–समय पर विहित दर से और इस अधिनियम के अधीन बनी नियमावली में यथाविहित कोई दंड अधिरोपित कर सकेगा
  - अधिनियम की धारा 7(2) के संदर्भ में दंड एकमुश्त राशि होगी जो पाँच सौ रुपये से कम नहीं तथा पाँच हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।
- अधिरोपित दंड, यथास्थिति नामनिर्दिष्ट लोकसेवक, अपीलीय प्राधिकार एवं संबंधित अधीनस्थ कर्मचारियों पर भारित होगा और यथास्थिति, अपीलीय या पुनर्विलोकन प्राधिकार द्वारा विनिश्चित किये गये अनुपात में, तथा इस अधिनियम के अधीन बनी नियमावली में समय–समय पर यथाविहित, होगा।
- अधिरोपित ऐसा दंड पूर्व से अस्तित्व वाले किसी अन्य अधिनियम, नियमावली, विनियमावली एवं अधिसूचनाओं में विहित किये गये के अतिरिक्त होगा।



बिलोसेअ अधिनियम धारा 6 (6)

बिलोसेअ अधिनियम धारा 6 (2) (क)

बिलोसेअ अधिनियम धारा 6 (2) (ख)

बिलोसेअ अधिनियम धारा 6 (3)

बिलोसेअ अधिनियम धारा 7, (1) (क)

बिलोसेअ नियमावली नियम 8

बिलोसेअ अधिनियम धारा 7, (1) (ख)

बिलोसेअ नियमावली नियम 8

बिलोसेअ अधिनियम धारा 7, (2)

बिलोसेअ नियमावली नियम 8

बिलोसेअ अधिनियम धारा 7, (3)

बिलोसेअ अधिनियम धारा 7, (4)



# दंड की वसूली

 नियम–15 के उपनियम(4) के अधीन दंड अधिरोपित किये जाने के आदेश की प्रति के प्राप्त होने पर, संबंधित प्राधिकार यथास्थिति, नामनिर्दिष्ट लोक सेवक या अपीलीय प्राधिकार के, या अपीलीय / पुनर्विलोकन प्राधिकार द्वारा विनिश्चित पदाधिकारी एवं कर्मचारी के, अगले वेतन / मानदेय / पारिश्रमिक से दंड की वसूली करायेगा और उसे संबंधित शीर्ष के अंतर्गत जमा करेगा और चालान की एक प्रति संबंधित अपीलीय / पुनर्विलोकन प्राधिकार को भेजेगा।

Ans.

 यदि पुनर्विलोकन के दौरान अपीलीय प्राधिकार के आदेश में कोई संशोधन किया जाता है तो संबंधित प्राधिकार ऐसे आदेश का कार्यान्वयन सुनिश्चित करायेगा।

#### आदेश संसूचित करना

(1) प्रथम या द्वितीय अपील आदेश खुली सुनवाई में पढ़ा जायेगा और यथास्थिति, अपीलीय प्राधिकार या पुनर्विलोकन प्राधिकार द्वारा लिखित रूप में दिया जायेगा।

(2) प्रथम अपील आदेश की प्रतिलिपि आवेदक एवं नामनिर्दिष्ट लोक सेवक को दी जायेगी।

(3) द्वितीय अपील आदेश की प्रतिलिपि आवेदक, नामनिर्दिष्ट लोक सेवक एवं अपीलीय प्राधिकार को दी जायेगी।

(4) दंड अधिरोपित किये जाने के मामले में अपीलीय / पुनर्विलोकन प्राधिकार द्वारा ऐसे आदेश की प्रतिलिपि संबंधित प्राधिकार को, यथास्थिति, नामनिर्दिष्ट लोक सेवक अपीलीय प्राधिकार के वेतन मानदेय / पारिश्रमिक से राशि की कटौती के निदेश के साथ चिहित की जायेगी।

(5) यथास्थिति, नामनिर्दिष्ट लोक सेवक या अपीलीय प्राधिकार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की स्थिति में पुनर्विलोकन प्राधिकार उसके विरुद्ध निर्गत आदेश संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को भेजेगा।

(6) जहाँ पुनर्विलोकन प्राधिकार अपीलीय प्राधिकार के आदेश में कोई संशोधन करता है वहाँ वह ऐसे आदेश की प्रतिलिपि अपीलीय प्राधिकार एवं उपनियम(4) में अधिसूचित पदाधिकारियों को भेजेगा।

सिविल प्रक्रिया संहिता से

न्यायालय मामले की सुनवाई कर लेने के पश्चात् निर्णय खुले न्यायालय में या तो तुरन्त या तत्पश्चात् यथासाध्य शीध्र किसी भविष्यवर्त्ती दिन को सुनाएगा और जब निर्णय किसी भविष्यवर्त्ती देन को सुनाया जाना है तब न्यायालय उस प्रयोजन के लिए कोई दिन नियत करेगा जिसकी सम्यक सूचना पक्षकारों या उनके प्लीडरों को दी जाएगी...। न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह सम्पूर्ण निर्णय को पढ़ कर सुनाए यह मात्र अंतिम निर्णय को सुना सकता है केन्तु न्यायादेश पारित करने के उपरान्त सम्पूर्ण निर्णय की प्रति पक्षकारों के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

अपीलीय न्यायालय का निर्णय लिखित रूप में होगा जिस में निम्न बातों का उल्लेख होगा

- विचारण के बिन्दु
- उन पर विनिश्चय



बिलोसेअ नियमावली नियम 16 (1)

बिलोसेअ नियमावली नियम 16 (2)

बिलोसेअ नियमावली नियम 15 (1)

बिलोसेअ नियमावली नियम 15 (2)

बिलोसेअ नियमावली नियम 15 (3)

बिलोसेअ नियमावली नियम 15 (4)

बिलोसेअ नियमावली नियम 15 (5)

बिलोसेअ नियमावली नियम 15 (6)





#### अननुपालन का अवचार की श्रेणी में आना

अपीलीय प्राधिकार के आदेशों, जब तक कि वह द्वितीय अपील में लम्बित नहीं हो या पुनर्विलोकन प्राधिकार द्वारा उपांतरित नहीं किया गया हो, या पुनर्विलोकन प्राधिकार के आदेशों का अननुपालन अवचार की श्रेणी में आयेगा तथा संबंधित व्यक्ति को, अनुशासनिक कार्रवाई के लिए अधिकथित नियमों सहित, आनुषंगिक प्रावधानों के अधीन कार्रवाई का भागी बनायेगा।

#### सद्भाव में की गयी कार्रवाई का संरक्षण

अधिनियम के धारा 11 के अनुसार किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसी चीज के लिए, जिसे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन सद्भाव में किया गया हो या किया जाना आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य न्यायिक कार्यवाही नहीं की जायेगी

सिविल प्रक्रिया संहिता से

अपील का अंतिम निष्पादन :-- अपीलीय न्यायालय का यह कर्त्तव्य है कि सम्पूर्ण साक्ष्यों पर वेचार करते हुए अपील का निर्णय विधि सम्मत तरीके से करे। अपीलीय न्यायालय के निर्णय में यह स्पष्ट दर्शाया जाना चाहिए कि न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण साक्ष्यों के आधार पर न्यायिक इष्टिकोण से विचार किया गया है।

तकनीकी त्रुटि के आधार पर डिक्री में हस्तक्षेप नहीं करना—सिविल प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 39 में यह प्रावधान है कि अगर अधीनस्थ न्यायालय (जिसके डिक्री के विरुद्ध अपील की गयी है) द्वारा विनिश्चय गुणानुगुण पर आधारित और सही हो और न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है उल्टा नहीं जा सकता। सेक्शन 99 का आधारभूत उदेश्य है कि न्याय के हित में तकनीकी त्रूटियों की उपेक्षा की जाय एवं वाद की जटिलता को दूर किया जाय।

साक्ष्य का सम्मान करना– यद्यपि अपीलीय न्यायालय को वे सारी शक्तियाँ हैं जो निम्न न्यायालय को है तथापि उनका इस्तेमाल समुचित घ्यान, सावधानी एवं एहतियात बरतते हुए करना चाहिए। जब निम्न न्यायालय द्वारा मुख्यतः मौखिक साक्ष्य के आधार पर तथ्य के निष्कर्ष पर पहुँचा गया डो तो इसकी उपेक्षा हल्के ढंग से नहीं की जानी चाहिए सिवाय इसके जब कि निम्न न्यायालय का साक्ष्य स्वीकार करने का दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण हो एवं सामान्यतः स्थापित सिद्धांतों के विरुद्ध डो।

कारण को अभिलेखित करना— यद्यपि अपीलीय न्यायालय का संक्षिप्त सुनवाई के उपरांत अपील को अस्वीकृत करने की शक्ति है किन्तु उस शक्ति का प्रयोग आपवादिक रूप में किया जाना वाहिए एवं उसमें भी कारण को अभिलेखित किया जाना चाहिए।



#### अभिलेखों का रखरखाव

नामनिर्दिष्ट लोक सेवक, अपीलीय प्राधिकार, तथा पुनर्विलोकन प्राधिकार विहित प्रपत्रों में सभी मामलों के अभिलेख रखेंगे। बिलोसेअ नियमावली **नियम** 17

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, सिंचाई बैरक, हार्डिंग रोड़, पटना | http://bpsm.bih.nic.in बिलोसेअ अधिनियम धारा 8

> बिलोसेअ अधिनियम धारा 11

# **BIHAR RIGHT TO PUBLIC SERVICES ACT 2011**

#### December 2011

ъ(i) с



# REFERENCE MATERIAL -APPEALS AND REVIEWS

In Compliance with BRTPS Rules Section 18 (6) (iii)

## CONTENTS

1. Background	2
2. Objectives of the Act	2
3. Provisions for Appeals	3
4. 'Appeals' as per CPC	3
5. Who May Appeal	3
6. Who May Go For 2nd Appeal	4
7. Process of Filing Appeal	4
8. Time Limit	5
9.Process of Deciding	5-6
10. Communicating	6
11. Individual Presence	6
12. Onus of Proof	7
13. Decisions/Orders	7
14. Penalty	7
15. Recovery of Penalty	8
16. Communicating the Order	8
17. Non-Compliance of Orders	9
18. Protection of Action	9
19. Maintenance of Records	9



CHIEF MINISTER BIHAR



#### PATNA

#### MESSAGE

To usher in accountability and transparency as part of government's ongoing administrative reforms, Government of Bihar has implemented the Bihar Right to Public Services Act from 15<sup>th</sup> August 2011 and it covers the entire state. Important public services related to common citizens, have been included under this act. The special fenture of this Act is that the services included under this Act shall be delivered to the citizens within the stipulated timeline. If the services are not delivered to the citizens within the stipulated timeline, there are provisions in the Act for appeal, hearing and fixing of responsibility. For all types of applications, it is now mandatory for the concerned offices to issue acknowledgment.

I am confident that after the implementation of this Act, a new era of transparency and accountability in the government's work will begin which will be helpful in delivering basic services to the citizens in the remote areas, especially those belonging to the weaker sections of society.

(Nitish Kumar)



The Bihar Prashasanik Sudhar Mission Society Sinchai Bairak-1, Harding Road, Patna. | http://bpsm.bih.nic.in

**RIGHT TO PUBLIC SERVICES ACT 2011** 

Right to Public Services

#### BACKGROUND

Over the last few years, Bihar has laid special focus and emphasis on Governance and administrative reforms. It has taken various steps to ensure better Government service delivery through measures aimed at improving transparency and accountability in Government processes and systems through policy interventions, e-governance initiatives, redressal mechanisms, etc. One such intervention is the Bihar Right to Public Services Act 2011 launched in August 2011 which gives rights to citizens for services that the Government is duty bound to deliver to them, agreeing to deliver services within stipulated time limits, fixing accountability within the system by naming public servants who would be held responsible and providing a chance to appeal in cases where services are delayed or denied. Thus, this act incorporates the concepts of accountability, timeliness and service delivery- all essential ingredients for good governance.



To provide for the delivery of notified public services to the people of the State within the stipulated time limit and for matters connected therewith and incidental thereto.



PAGE?

# **GHT TO PUBLIC SERVICES ACT 2011**

#### **PROVISION FOR APPEALS UNDER THE BRTPS Act**

Section 6 of the BRTPS Act provides for the right of appeal, according to which, "Any person whose application for service is rejected by a designated public servant or who is not provided the service within the stipulated time limit, may take recourse to redressal by filing an appeal to the Appellate Authority within thirty days from the date of rejection of application or the expiry of the stipulated time limit".

Further, if the applicant or the designated public servant is aggrieved by the order of the Appellate Authority or there is non-compliance of the Appellate Authority order by the designated public servant, there is also a provision for a second appeal to the Reviewing Authority.

Further, if the Appellate Authority fails to decide on an appeal within the stipulated time, the applicant may resort to making a second appeal to the Reviewing Authority.



#### Appeals

Appeal according to the Code of Civil Procedures, 1908 may be defined as "the judicial examination of the decision by a higher court of the decision of an inferior court". It is thus a right of making a complaint to a superior court or administrative authority and invoking its aid and intervention to redress an error/ negligence of the court/ office below. Every appeal has three basic elements:

- A decision (usually a judgment of a court or the ruling of an administrative authority);
- A person aggrieved (who is often, though not necessarily, a party to the original proceeding); and
- A reviewing body ready and willing to entertain an appeal.

#### WHO MAY APPEAL

First appeal- Under BRTPS, any eligible person adversely affected by the rejection of application of service or failure to deliver service within the stipulated time limit may file a first appeal.

... the State Government, if it receives an application alleging non-compliance of the provisions of the Act, may send the same directly to the Appellate Authority for taking further actions as per the Act.

Section 6 (1)

**BRTS** Act

**BRTS** Act Section 10

The Bihar Prashasanik Sudhar Mission Society Sinchai Bairak-1, Harding Road, Patna. | http://bpsm.bih.nic.in |



BRTS Act Section 6

PAGE .

**BIHAR RIGHT TO PUBLIC SERVICES ACT 2011** 

**Second appeal-** Under BRTPS, any eligible person or the designated public servant aggrieved by any order of the Appellate Authority may make a second appeal. An applicant may also submit an application directly to the Reviewing Authority if there is non-compliance by the Designated Public Servant to an order of the Appellate Authority. There is also provision under the BRTPS Act for the judgement of the first appeal to be pronounced within a stipulated time, failure of which allows the applicant to submit an application directly to the Reviewing Authority.

#### PROCESS OF FILING APPEAL

The process of filing of first and second appeal and the associated documentation required will be displayed on the Notice Board of each office from which notified services under Bihar RTPS are delivered. Some of the key provisions of the process of making appeals are given below:

- No fees shall be levied for filing First and Second appeals
- The following information shall be included with the application for any first and second appeals to the Appellate Authority or Reviewing Authority:
  - Name and address of applicant or person asking for First and Second Appeals.
  - To the extent possible, name and address of Designated Public Servant/ Appellate Authority against whose decision the First or Second Appeal has been presented
  - Summary of the response from the Designated Public Servant/ Appellate order against which the First/ Second Appeal lies respectively
  - Date of application along with name and address of the Designated public Servant if the appeal is made against non-receipt of acknowledgement of the applications
  - Basis for First or Second Appeal
  - Relief asked for
  - Any other related information that may be necessary for determining the First or Second Appeal.
- The documents which need to be enclosed with every First and Second Appeal are as given below:
  - Table of contents of documents enclosed with the First or Second Appeal
  - Self-attested copy of the order against which the First or Second Appeal is being made
  - Copies of documents mentioned in the application for First or Second Appeal
  - For the Second Appeal, the designated public servant or the Appellate Authority should provide proof of deposit of penalty in case of second appeal; without such proof the Second Appeal from the same will not be accepted

BRTS Act Section 6 (3) and (4)

BRTS Rules Section 7

BRTS Rules Section 9

BRTS Rules Section 10

BRTS Rules Section 11



**GHT TO PUBLIC SERVICES ACT 2011** 

#### TIME LIMIT:

- The First Appeal is to be filed within thirty days from the date of rejection of application or the expiry of the stipulated time limit. The Appellate Authority may admit the appeal even after the expiry of the period of thirty days and may also condone the delay if he/ she is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.
- The Second Appeal is to be filed within sixty days from the date of the order of the Appellate Authority. The Reviewing Authority may accept the Second Appeal even after the expiry of the sixty days and may also condone the delay is he/ she is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal on time.
- The filing of an appeal shall be duly acknowledged by the Appellate Authority by providing the Appellant with a signed receipt of the same



BRTS Act Section 6 (1)

BRTS Act Section 6 (3)

BRTS Act Section 6 (1)

#### FROM THE ACT OF LIMITATION Computation of Period of Limitation: 12. Exclusion of time in legal proceedings --

In computing the period of limitation for any suit, appeal or application, the day from which such period is to be reckoned, shall be excluded
 In computing the period of limitation for an appeal or an application for leave to appeal or for revision or for review of a judgement, the day on which the judgement complained of was pronounced and the time required for obtaining a copy of the decree, sentence or order appealed from or sought to be revised or reviewed shall be excluded

- (3)Where a decree or order is appealed from or sought to be revised or reviewed, or where an application is made for leave to appeal from a decree or order, the time required for obtaining a copy of the judgement shall also be excluded
- (4) In computing the period of limitation for an application to set aside an award, the time requisite for obtaining a copy of the award shall be excluded.

#### PROCESS of DECIDING on and DISPOSING of FIRST or SECOND APPEAL

The process of deciding on and disposing of First or Second Appeal involves the following steps:

 The Appellate Authority and the Reviewing Authority while deciding an appeal under this section will have the same powers as vested in a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 with respect to (i) production and inspection of documents, (ii) issuing summons for hearing to the Designated Public Servant and appellant and (iii) any other matter as prescribed

BRTS Act Section 6 (5)

The Bihar Prashasanik Sudhar Mission Society Sinchai Bairak-1, Harding Road, Patna. | http://bpsm.bih.nic.in |

**AR RIGHT TO PUBLIC SERVICES ACT 2011** 

#### FROM THE CODE OF CIVIL PROCEDURE

- In reviewing and examining the merits of appeal the relevant documents, public records or their copies shall be reviewed as documentary evidence while verbal submissions will also be accepted as evidence. Non enclosure of the required documents will lead to rejection of the appeal
- In exceptional cases, any officer may be authorized to carry out an investigation
- · In the decision of First or Second Appeal,
  - (1) Concerned documents, public records or their copies shall be reviewed.
  - (2) In exceptional circumstances, any officer may be authorized for required investigation.
  - (3) The Designated Public Servant or Appellate Authority may be summoned at the time of review for a hearing

#### COMMUNICATING THE INFORMATION OF HEARING

- The designated public servant or Appellate Authority may be summoned at the time of review **BRTS** Rules for a hearing and all the parties shall be given a reasonable opportunity of being heard either in person or through their respective pleaders
  - Information regarding the hearing of the application for First or Second Appeal shall be communicated
    - by the party himself/herself, or
    - by hand delivery through special messenger or
    - by registered post acknowledgement receipt or
    - through the department, in the case of review

#### INDIVIDUAL PRESENCE

- In all situations, the hearing date shall be communicated to applicant/ Designated Public **BRTS Rules** Servant/ Appellate Authority at least 7 days in advance
- **Section 14** (1) - As the case may be, an applicant/ Designated Public Servant/ Appellate Authority shall make himself present during the hearing of First or Second Appeal application or can take the option of not attending
- Where it is clear that such circumstances exist due to which an applicant/ Designated Public Servant Appellate Authority, as the case may be, is/are not able to be present in hearing, in those cases before taking a final decision one more chance shall be given to the applicant/ Designated Public Servant Appellate Authority or such necessary action shall be taken as is deemed fit
- If any party remains absent on the date of hearing even after the information of hearing being duly executed to him/her, then, the application for First or Second Appeal, as the case may be, shall be decided in absentia
- The Bihar Prashasanik Sudhar Mission Society Sinchai Bairak-1, Harding Road, Patna. | http://bpsm.bih.nic.in



PAGE

BRTS Rules Section 12

Section 13

**BRTS Rules Section 14** (2)

**BRTS Rules** Section 14 (3)

**BRTS Rules** Section 14 (4) **BIHAR RIGHT TO PUBLIC SERVICES ACT 2011** 

#### ONUS OF PROOOF

 In any appeal proceedings, the onus to prove that a delay or denial of service was justified shall be on the Designated Public Servant or the Appellate Authority, as the case may be, who delayed or denied the service.

#### **DECISIONS/ORDERS**

- The Appellate Authority may order the Designated Public Servant to provide the service within the specified period or may reject the appeal.
- Along with the order to provide service, the Appellate Authority may impose penalty according to the provisions of Section 7 of this Act.
- ... the Reviewing Authority .. shall dispose the appeal according to the prescribed procedure

#### PENALTY

- Where the Appellate Authority is of the opinion that the Designated Public Servant has failed to provide service without sufficient and reasonable cause, then he/she may impose a lump sum penalty at the rate specified from time to time and as prescribed in the rules framed under this Act from time to time.
  - With reference to Section 7 (1) (a) of the Act, the penalty will be a lumpsum amount that shall not be less than 500 rupees and not more than 5000 rupees.
- Where the Appellate Authority is of the opinion that the Designated Public Servant has caused delay in providing the service, then he/she may impose a lump sum penalty at the rate specified from time to time and as prescribed in the rules framed under this Act from time to time for such delay on the Designated Public Servant
  - With reference to Section 7 (1) (b) the penalty will be Rs.250 per day of delay, with the proviso that the total penalty in any one case shall not exceed Rs.5000
- Where the Reviewing Authority is of the opinion that the Appellate Authority has failed to decide the appeal within the stipulated time limit without any sufficient and reasonable cause, then he/ she may impose a penalty on the Appellate Authority at the rate specified from time to time and as prescribed in the rules framed under this Act
  - o With reference to section 7 (2) of the Act, the penalty will be a lump sum amount not less than Rs.500 and not exceeding Rs.5000.
- The penalty as imposed ... shall be charged from the Designated Public Servant, Appellate Authority and concerned sub-ordinate staff as the case may be, and in the proportion to be decided by the Appellate or Reviewing Authority, as the case may be, and as prescribed in the Rules framed under this Act from time to time
- The penalty so imposed will be in addition to that prescribed in any other Act, rules, regulations and notifications already existing

The Bihar Prashasanik Sudhar Mission Society Sinchai Bairak-1, Harding Road, Patna. | <u>http://bpsm.bih.nic.in</u>



**BRTS** Act Section 6 (6)

BRTS Act Section 6. 2 (a)

BRTS Act Section 6. 2 (b)

BRTS Act Section 6. 3

BRTS Act Section 7, 1 (a)

BRTS Rules Section 8

BRTS Act Section 7, 1 (b)

BRTS Rules Section 8

BRTS Act Section 7 (2)

BRTS Rules Section 8

BRTS Act Section 7 (3)

BRTS Act Section 7 (4)

**AR RIGHT TO PUBLIC SERVICES ACT 2011** 

#### **RECOVERY OF PENALTY**

- The concerned authority shall cause to recover the penalty from the next salary/ honorarium/ remuneration of the Designated Public Servant or the Appellate Authority or officers and staff as decided by the Appellate/Reviewing Authority, as the case may be, upon receipt of copy of order for imposing penalty under sub-rule (4) of Rule 15 and shall deposit it under the concerned head and send a copy of challan to the concerned Appellate/ Reviewing Authority.
- . In case any amendments are made in the Appellate Authority's order during review then the concerned authority shall cause to ensure that such orders are implemented.

#### COMMUNICATING THE ORDER

- First or Second Appeal order, as the case may be, shall be read during the open hearing and shall be in writing from Appellate Authority or Reviewing Authority
- Copy of first appeal order shall be given to applicant and Designated Public Servant
- Copy of second appeal shall be given to applicant, Designated Public Servant and Appellate Authority
- In the case of imposition of penalty Appellate/Reviewing Authority shall mark a copy of such order to the concerned authority with instructions to deduct the amount from salary/ honorarium/remuneration of the Designated Public Servant/Appellate Authority as the case may be.
- In the event of recommendation for departmental enquiry against Designated Public Servant or the Appellate Authority, as the case may be, the Reviewing Authority shall send orders issued against him/ her to the concerned appointing authority
- Where the Reviewing Authority makes any amendment in the order of the Appellate Authority then he/she shall send a copy of such order to the Appellate Authority and officers notified under sub rule (4)

BRTS Rules

**BRTS Rules** Section 16 (1)

**BRTS Rules** Section 16 (2)

**BRTS Rules Section 15 (1)** 

**BRTS Rules** Section 15 (2)

**BRTS Rules Section 15 (3)** 

**BRTS Rules** Section 15 (4)

**BRTS Rules Section 15 (5)** 

Section 15 (6)

#### FROM THE CODE OF CIVIL PROCEDURE

The judgement may be pronounced either at once or on some future date, after giving notice to the parties ... It is not necessary for the court to read out the whole judgement and it can read out only the final order but a copy of the whole judgement should be made available for the perusal of the parties... after the judgement is pronounced

The judgement of the appellate court shall be in writing and shall state (i) the points of determination, (ii) the decision thereon and (iii) the reasons for the decision

The Bihar Prashasanik Sudhar Mission Society Sinchai Bairak-1, Harding Road, Patna. | http://bpsm.bih.nic.in





ends of justice, and from operating as a means of circuitry of litigation".

as the original court, but they have to be exercised with proper care, caution and circumspection. When a finding of fact has been arrived at by the trial court by mainly appreciating oral evidence, it should not be lightly disturbed unless the approach of the trial court in appraisal of evidence is materially erroneous, contrary to well-established principles or perverse.

cases and, that too, after recording reasons.

#### MAINTENANCE OF RECORDS

• The Designated Public Servant, Appellate Authority and Reviewing Authority shall maintain records of all cases in the prescribed formats.

BRTS RULES Section 17

The Bihar Prashasanik Sudhar Mission Society Sinchai Bairak-1, Harding Road, Patna. | http://bpsm.bih.nic.in

#### NON-COMPLIANCE OF ORDERS

Non-compliance of the orders of the Appellate Authority, unless pending in second appeal or modified by the Reviewing Authority, or of the orders of the Reviewing Authority shall amount to misconduct and makes the concerned person liable for actions under related provisions including those that have been laid down for disciplinary action

#### PROTECTION OF ACTION TAKEN IN GOOD FAITH

As per the Section 11 of the Act, no suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is done or intended to be done in good faith **BRTS** Act under this Act or any other associated rule Section 11

FROM THE CODE OF CIVIL PROCEDURE- DUTIES OF APPELLATE COURT

To decide appeal finally : It is the duty of the appellate court to decide an appeal in accordance with law after considering the evidence as a whole. The judgment of the appellate court must clearly show that it has applied its judicial mind to the evidence as a whole.

Not to interfere with decree for technical errors: Section 99 of the Code enacts that a decree which is otherwise correct on merits and is within the jurisdiction of the court should not be upset merely for technical and immaterial defects. The underlying object of Section 99 is " to prevent technicalities from overcoming the

Appreciation of evidence : .... No doubt, the appellate court has the same powers

Recording of reasons : Again, though an appellate court has power to dismiss an appeal summarily, such power should be exercised sparingly and in exceptional

**GHT TO PUBLIC SERVICES ACT 2011** 



**BRTS** Act Section 8